<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082022-238457 CG-DL-E-30082022-238457

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3876] No. 3876] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2022/भाद्र 8, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2022/BHADRA 8, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2022

का.आ. 4050(अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 6 के अधीन आच्छादित ऐसे उद्योग की सेवाएँ जो खाद्य सामग्री में लगे हुए हैं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होगी;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 857(अ), तारीख 25 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 28 फरवरी, 2022 से छह मास की अविध के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खाद्य सामग्री में लगे हुये उद्योग को तारीख 28 अगस्त, 2022 से छह मास की और अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/91-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

5809 GI/2022 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2022

S.O. 4050(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industry engaged in food stuffs, which is covered under item 6 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 28th February, 2022 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 857(E), dated the 25th February, 2022;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in food stuffs to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 28th August, 2022.

[F. No. S-11017/5/91-IR (PL)] KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.